

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 844]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 नवम्बर 2025 — कार्तिक 12, शक 1947

गृह विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-01/दो-गृह/सै.क./2013.— राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 12-01/दो-गृह/सै.क./2013, दिनांक 30 जनवरी 2014 एवं दिनांक 27 जून 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

सरल क्रमांक 5 के अशासकीय सदस्य संख्या 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित सदस्य प्रतिस्थापित किये जाये :-

अशासकीय सदस्य —

1. मेजर जनरल संजय शर्मा (से.नि.)
एच.आई.जी 1/144, सेक्टर नं.-1
डी.डी. नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. विंग कमांडर ए श्रीनिवास राव (से.नि.)
सी-108, स्वर्णभूमि, आमा सिवनी,
विधान सभा रोड, रायपुर (छ.ग.)
3. श्री अतुल रायजादा
स्टेडियम के पीछे, व्हीआईपी रोड,
राजनांदगांव (छ.ग.)
मोबाईल नं. — 9575299000
4. श्री नितेश अग्रवाल
राजमहल कालोनी,
कवर्धा (छ.ग.)
मोबाईल नं. — 9993887468

उपरोक्त अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल की अवधि उनके मनोनीत होने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 31st October 2025

NOTIFICATION

No. F 12-01/02(Home)/DSW/2013.— The State Government hereby makes the following amendment in Department Notification Number F 12-01/02(Home)/DSW/2013 dated 30 Jan 2014 and even dated 27 Jun 2023:-

AMENDMENT

In the Ser No 5 “Non Official members” of Ser No 1 to 4, the following members shall be substituted :-

Non Official Members

1. Maj General Sanjay Sharma (Retd)
HIG 1/144, Sector No-1
Dd Nagar, Raipur (CG)
2. Wg Cdr A Srinivas Rao (Retd)
C-108, Swarabhoomi, Amaseoni,
Vidhan Sabha Road, Raipur (CG)
3. Shri Atul Raijada
Behind Stadium VIP Road
Rajnandgaon
Mobile No – 9575299000
4. Shri Nitesh Agarwal
Rajmahal Colony
Kawardha
Mobile No -9993887468

The tenure of the nominated non-official members shall be for the period of 02 years from the date of nomination.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P.CHOUHAN, Deputy Secretary.